

दिनांक: 5/6/18

निर्दिष्ट
5/6/18

राजस्थान लोक अदालत अधिनियम
-संशुद्धि अधिनियम 2018

राजस्थान सरकार
न्यायालय ~~द्वारा~~ अधिकारी एवं ~~पदेन~~ सहायक कलेक्टर, दौसा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कुठड़ल

क्रमांक:- कुठड़ल केटि/18/5187

आदेश

दिनांक:- 20/6/18

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कुठड़ल व भू.अ.नि. कुठड़ल की रिपोर्ट तथा तहसीलदार दौसा / नायब तहसीलदार दौसा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खोहरा तहसील दौसा व जिला दौसा की जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074 में खाता संख्या 14, 15 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1.	खोहरा खुई	14, 15	कस्तूरी देवी पत्नी उड़ीसाल सिंह	कस्तूरी देवी पत्नी उड़ीसाल



(Signature)

पीठासीन अधिकारी कलेक्टर
लोक अदालत, दौसा
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलेक्टर,

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार.....को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री.....को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलेक्टर.....